



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 22, 2026 (MAGHA 2, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2026

**संख्या 01/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 51/जीएसटी-2, दिनांक 30 सितंबर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 51/जीएसटी-2, दिनांक 30 सितंबर, 2023 में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

"(iv) निम्नलिखित माल, जिन पर खुदरा विक्रय कीमत घोषित है, का प्रदाय, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के खाना (3) में विनिर्दिष्ट और जो तालिका के खाना (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/टैरिफ मद के अधीन आते हैं:-

तालिका

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न]
3.	2402	तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट,
4.	2403	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू; तंबाकू सत्त और अर्क (बीड़ी से भिन्न)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद

व्याख्या. — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, —

- (क) "खुदरा विक्रय कीमत" से अभिप्राय है, माल पर घोषित अधिकतम कीमत जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, शुल्क, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों;
- (ख) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय कीमत घोषित की गई हो, वहां ऐसी खुदरा विक्रय कीमत में से अधिकतम को खुदरा विक्रय कीमत माना जाएगा;
- (ग) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय कीमत को प्रदाय से पहले, के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय कीमत में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसी परिवर्तित खुदरा विक्रय कीमत को खुदरा विक्रय कीमत माना जाएगा;
- (घ) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत घोषित की गई हो, वहां प्रत्येक ऐसी खुदरा विक्रय कीमत उस क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट माल की कीमत निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय कीमत होगी, जिससे यह खुदरा विक्रय कीमत संबंधित है।"
- (ङ) "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उप-शीर्ष" और "अध्याय" का अभिप्राय होगा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय;
- (च) धारा और अध्याय नोट तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट सहित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।"
2. यह अधिसूचना प्रथम फरवरी, 2026 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 22nd January, 2026

**No. 01/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 51/GST-2, dated the 30th September, 2023, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 51/GST-2, dated the 30th September, 2023, after clause (iii), the following clause shall be added, namely: —

"(iv) supply of the following goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ Heading/ Sub-heading/ Tariff item specified in column (2) of the Table below, on which the retail sale price is declared :-

TABLE

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]

3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation. - For the purposes of this clause, —

- (a) "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which the goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess, by whatever name called;
  - (b) where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;
  - (c) where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;
  - (d) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.
  - (e) "tariff item", "heading", "sub-heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( Central Act 51 of 1975);
  - (f) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), including the section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this clause."
2. This notification shall come into force with effect from the 1st February, 2026.

ASHIMA BRAR,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 22, 2026 (MAGHA 2, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2026

**संख्या 03/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/जीएसटी-2, दिनांक 17 सितंबर, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/जीएसटी-2, दिनांक 17 सितंबर, 2025 में, -

(क) अनुसूची II - 9% में, क्रम संख्या 4 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;";
------	------------------------	-------------

(ख) अनुसूची III - 20%, में, क्रम संख्या 13 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न];
16.	2402	तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट;
17.	2403(2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू विकल्प;"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू; तंबाकू सत्त और अर्क (बीड़ी से भिन्न);

18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद।";

(ग) अनुसूची VII –14% और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम फरवरी, 2026 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 22nd January, 2026

**No. 03/GST-2.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/GST-2, dated the 17th September, 2025, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/GST-2, dated the 17th September, 2025, -

(a) in the Schedule II – 9%, after serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;”;
------	------------------------	----------

(b) In Schedule III – 20%, after serial number 13 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely: -

“14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 24031921, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences[other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion.”;

(c) in the Schedule VII – 14%, and entries thereagainst shall be omitted.

2. This notification shall come into force with 1st day of February, 2026.

ASHIMA BRAR,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.